

कार्यालय, नगर पालिक निगम, भिलाई-चरौदा, जिला - दुर्ग (छ.ग.)

E-mail ID – cmobhilaicharoda@gmail.com ★ www.nagarnigambhilaicharoda.com Phone No.– 0788-2962380

क्र. / 497 / लो.क.वि. / न.पा.नि. / 2023

भिलाई-चरौदा, दिनांक- 29 / 09 / 2023

—:: निविदा आमंत्रण ::—


सोमनी रोड में पुरैना चौक से सोमनी नाला तक मार्ग प्रकाश व्यवस्था अन्तर्गत सोलार लाईट स्थापना कार्य

एतद् द्वारा सोमनी रोड में पुरैना चौक से सोमनी नाला तक मार्ग प्रकाश व्यवस्था अन्तर्गत सोलार लाईट स्थापना कार्य हेतु निविदा आमंत्रित की जाती है। उक्त कार्य हेतु इच्छुक ठेकेदार अपनी दरे सील बंद लिफाफे में पंजीकृत डाक/स्पीड पोस्ट के द्वारा दिनांक – 30.09.2023 से दिनांक – 20.10.2023 तक समय – संध्या 05:30 बजे तक प्रस्तुत कर सकते हैं –

कार्य का नाम	निविदा प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि
सोमनी रोड में पुरैना चौक से सोमनी नाला तक मार्ग प्रकाश व्यवस्था अन्तर्गत सोलार लाईट स्थापना कार्य	दिनांक – 20.10.2023 तक समय – संध्या 05:30 बजे

निविदा शर्तें एवं कार्य विवरण :-

- आयकर व GST पंजीकृत इच्छुक व्यक्ति संस्था/ठेकेदार नगर पालिक निगम, भिलाई-चरौदा के Website:- <https://www.nagarnigambhilaicharoda.com> से Download कर सकते हैं। निविदा के साथ राशि ₹ 750.00 का Demand Draft जो कि आयुक्त, नगर पालिक निगम, भिलाई-चरौदा एवं अमानत राशि ₹ 14,100.00 की D.D./F.D.R आयुक्त, नगर पालिक निगम, भिलाई-चरौदा के पक्ष में देय होगा, प्रस्तुत करना होगा।
- निविदा तीन लिफाफा पद्धति से पंजीकृत डाक/स्पीड पोस्ट के माध्यम से प्रस्तुत किया जाना होगा। प्रथम लिफाफा "अ" में अमानत राशि का D.D./F.D.R एवं डिमांड ड्राफ्ट नहीं होने की स्थिति में वित्तीय आफर का द्वितीय लिफाफा "ब" नहीं खोला जावेगा एवं प्रस्तुत निविदा निरस्त कर दिया जावेगा।
- निविदा में पात्रता हेतु PWD (Electrical) का एकीकृत पंजीयन प्रणाली अंतर्गत अथवा CSPDCL विभाग में कार्य संविदा हेतु पंजीयन होना अनिवार्य होगा। कार्य में प्रयुक्त सोलार सामग्रियों एवं उपकरणों का MNRE में मान्यता संबंधित दस्तावेज संलग्न किया जाना अनिवार्य होगा।
- उक्त कार्य की अवधि कार्यादेश से 03 माह तक के लिए होगी। आवश्यकता पड़ने पर उक्त अवधि में आयुक्त, नगर पालिक निगम, भिलाई-चरौदा की अनुमति एवं परस्पर सहमति उपरान्त वृद्धि की जा सकेगी।
- दरें समस्त करों सहित दिया जाना होगा। नियमानुसार आयकर श्रम कल्याण एवं उपकर की कटौती की जावेगी। कार्य पूर्णता के एक वर्ष की सुरक्षा अवधि समाप्त होने उपरान्त सुरक्षा निधि वापस की जावेगी।
- समय-समय पर शासन के दिशा-निर्देशों का पालन किया जाना अनिवार्य होगा।
- विवाद की स्थिति में अंतिम निर्णय आयुक्त नगर पालिक निगम भिलाई चरौदा का होगा जो कि अंतिम व सर्वमान्य होगा।


कार्यपालन अभियंता
नगर पालिक निगम
भिलाई चरौदा